न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2017-00216RAAJodhpur2017-121RTA225 Padamdas ors Vs Hansraj etc

1. पदमदास पुत्र श्री भंवरदास,
2. राकेश पुत्र श्री पोकरदास,

जातियान् साद, निवासीगण– नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. हंसराज पुत्र श्री राणाराम, जाति–माली, निवासी– सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
2. दौलाराम पुत्र श्री जयरूपराम, जाति–जाट, निवासी– नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
3. दिनेश पुत्र श्री गोदाराम, जाति– माली, निवासी– सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
4. बाबूलाल पुत्र श्री नारायणराम, जाति–जाट, निवासी– नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
5. श्रवणदास पुत्र श्री भंवरदास,
6. मदनदास पुत्र श्री भंवरदास,

   जातियान् साद, निवासीगण– नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

7. श्यामदास पुत्र श्री गोविन्ददास
8. दिनेशदास पुत्र श्री गोविन्ददास
9. सतीश उर्फ शैतानदास पुत्र श्री गोविन्ददास,
10. भंवरी देवी पत्नी श्री गोविन्दास,

    जातियान् साद, निवासीगण– सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

11. गोदावरी देवी पत्नी श्री बालूदास,

    जातियान् साद, निवासीगण– नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

12. देवस्थान विभाग, जोधपुर राजस्थान जरिये उपायुक्त, नैनीबाई का मन्दिर, उदयमन्दिर, जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 18 सितंबर 2017 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2016 डोली बनाम मंदिर बनाम पदमदास इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री भागीरथ विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 7 से 11

नि र्ण य

दिनांक : 10 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर **लूणी** द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2016 अनवान डोली बनाम मंदिर बनाम पदमदास इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 सिंतबर 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 13 अक्टूबर 2017 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 से 04 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया गया। वाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 40 नियम 01 सी॰पी॰सी॰ का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नन्दवान की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 61 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 61/1 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 62 रकबा 25 बीघा 08 बिस्वा आई हुई है। यह भूमि मूल रूप से मन्दिर श्री नरसिंह जी की डोली की खातेदारी की भूमि है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या–5 से 12 ने बिना किसी अधिकारिता के कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से खसरा नम्बर 61 व 61/1 पर खड्डे खोदकर सैकडों ट्रक मिट्टी व मुरड बेच दिया गया है व मौके पर 10 से 12 फुट गहरे गढ्ढे खोद दिये है तथा मन्दिर के हितों के विरूद्ध कार्यवाही कर रहे है, जिनका उन्हें कोई अधिकार नही है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 07॰11॰2016 को प्रत्यर्थी संख्या 5 से 12 व अपीलार्थीगण को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अकृषि कार्य नही करने हेतु पाबन्द किया गया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 सितंबर 2017 के जरिये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार तहसीलदार, लूणी को रिसीवर नियुक्त किया,, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र धारा 212 से अलग प्रार्थना–पत्र होता है, जो प्रार्थना–पत्र अलग से दर्ज किया जाकर अलग पत्रावली कायम की जाती है तथा उसी अनुसार प्रकरण में नोटिस जारी कर सुनवाई की जाती है। प्रार्थना–पत्र को अलग से दर्ज नही किया गया है, जिस कारण प्रार्थना–पत्र की पूरी कार्यवाही दूषित तरीके से अमल में लायी गई है। इस कारण आलौच्य आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। आलौच्य आदेश पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है, जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर पारित किया गया होने से अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी कब्जाधारी को मौके से हटाया नही जा सकता है। इस कारण उपरोक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त नही किया जा सकता है। खसरा नम्बर 62 के सम्बन्ध में किसी तरह का कोई उज्र एतराज प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में नही किया गया है, जिस कारण खसरा नम्बर 62 पर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश विधिविरूद्ध होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण वक्त सेटलमेन्ट से मन्दिर के पुजारी होने व खातेदार होने के नाते मौके पर काबिज चले आ रहे है तथा काश्त करते आ रहे है। किसी भी तरह का अकृषि कार्य अपीलार्थीगण द्वारा मौके पर नही किया जा रहा है तथा न ही अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित होने के बाद आदेश की अवहेलना की कार्यवाही हेतु अपीलार्थीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई हो। इस कारण भी विवादित भूमि के नष्ट व स्वरूप परिवर्तित होने की कोई आशंका नही होने के बावजूद रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जो आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या–1 से 4 को अपीलार्थीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही है। इस कारण भी आलौच्य आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2017 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावे।

रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जमाबंदी संवतः 2072–2075 ग्राम नन्दवान के खाता संख्या 164 नया एवं पुराना खाता संख्या 133 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा न. 61, 61/1 व 62 डोली बनाम मंदिर श्री नृसिंगजी के नाम से दर्ज है। मौका फर्द दिनांक 15.10.2016 में खसरा नं. 61 में मौके पर खड्डा करके मिट्टी निकालकर बेची जाना बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किये जाने हेतु रिसीवर नियुक्ति किया जाकर मिट्टी खोदकर बेचने वालो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया है। लिहाजा अदालत हाजा विचारण न्यायालय के मत से सहमत होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर **लूणी** द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2016 अनवान डोली बनाम मंदिर बनाम पदमदास इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 18 सिंतबर 2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ओमप्रकाश विश्नोई}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर